(37)

<u>आयुक्त/अध्यक्ष महोदय</u>

दिनांक 02.8.88 को हुई प्राधिकरण की बैठक की कार्यवाही तैयार कर दाईं ओर आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

| | |
|---|---|
| सचिव, | 4/8/88 उपाध्यक्ष, |
| मसूरी-देहरादून विकास प्रा0, | मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, |
| देहरादून । | देहरादून । |

12.8.88

16/8

**प्राधिकरण की बैठक दिनांक 2-8-88 में माननीय सदस्यों की उपस्थिति/-**

1- श्री एस0 एस0 पांगती, आयुक्त गढ़वाल मण्डल-----अध्यक्ष

2- श्री प्रताप सिंह, ----उपाध्यक्ष

3- श्री विष्णुस्वरूप, विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन,
नगर विकास विभाग, लखनऊ । ----सदस्य

4- श्री हीरा सिंह बिष्ट, नगर विधायक ----सदस्य

5- श्री एम0 आर0 कुकरेती, अपर जिलाधिकारी--प्रतिनिधि सदस्य

6- श्री एच0के0शर्मा, वरिष्ठ नियोजक ---प्रतिनिधि सदस्य

7- श्री ~~सुरेन्द्र~~ नरेन्द्र सिंह नेगी, वन संरक्षक, यमुनावृत्त, दे0दून--प्रतिनिधि सदस्य

8- श्री महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता0 ---प्रतिनिधि सदस्य
उ0प्र0 जल निगम, देहरादून ।

9- श्री पी0के0शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0--प्रतिनिधि सदस्य

10-श्रीमती रीता विशाल, प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र,
देहरादून । -----सदस्य

विशेष आमंत्रित:-

1- श्री प्रयाग सिंह जंगपांगी, परगना मजिस्ट्रेट, मसूरी ।

2- श्री ए0 सी0 दुबे, अधिशासी अधिकारी, न0पालिका, दे0दून ।

3- श्री बृज बी0 रतन0सहयुक्त नियोजक, देहरादून ।

अन्य उपस्थिति:-

1- श्री यू0 डी0 चौबे, सचिव0मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।

2- श्री डी0 एस0 मनराल, संयुक्त सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की दिनांक 02.8.88 को प्राधिकरण कार्यालय में हुयी बैठक की कार्यवाही ।

-------0---------

उपस्थिति:-

1-श्री एस0एस0पांगती, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल -----अध्यक्ष

2-श्री प्रताप सिंह -----उपाध्यक्ष

3-श्री विष्णुस्वरूप, विशेष सचिव, उ0प्र0शासन नगर विकास विभाग, लखनऊ । -----सदस्य

4-श्री हीरा सिंह विष्ट, नगर विधायक, देहरादून । -----सदस्य

5-श्री एम0आर0कुकरेती, अपर जिलाधिकारी, प्र0, देहरादून । -----प्रतिनिधि सदस्य

6-श्रीमती हीता विशाल, प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून । ------सदस्य

7-श्री एच0के0शर्मा, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवम् ग्राम्य नियोजन विभाग, उ0प्र0 ------प्रतिनिधि सदस्य

8-श्री नरेन्द्र सिंह नेगी, वन संरक्षक, यमुनावृत्त, देहरादून । ------प्रतिनिधि सदस्य

9-श्री महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, देहरादून । ------प्रतिनिधि सदस्य

10-श्री पी0के0शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0, देहरादून । ------प्रतिनिधि सदस्य

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

:- विशेष आमंत्रित:-

1-श्री प्रयाग सिंह जंगपांगी, परगना मजिस्ट्रेट, मसूरी ।

2-श्री ए0सी0दुबे, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, देहरादून ।

3-श्री बृज बी0रतन, सहयुक्त नियोजक, देहरादून ।

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

:-अन्य उपस्थिति:-

1-श्री यू0डी0चौबे, सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।

2-श्री डी0एस0मनराल, संयुक्त सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

----00----

पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन से सम्बन्धित आख्या पढ़ी गयी और निम्नलिखित निर्देश दिए गए ।

॥1॥ रिस्पना नदी व बिन्दाल नदी के किनारे स्थित गांवसभा की रिक्त भूमि का सर्वेक्षण नगर नियोजक एवम् अधिशासी अभियन्ता द्वारा अभी तक नहीं किया जा सका है। संयुक्त सचिव द्वारा निरीक्षण के उपरान्त जो सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसके अनुसार संयुक्त सचिव इन दोनों अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर लें और दिनांक 24.05.88 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही कर एक माह के अन्दर उपाध्यक्ष को आख्या प्रस्तुत करेंगें।

॥कार्यवाही संयुक्त सचिव, अधिशासी अभियन्ता, नगर नियोजक॥

गांवसभा की भूमि पर महायोजना में निर्धारित भूउपयोग के विपरीत हो रहे अनधिकृत निर्माणों के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा की ~~जारी~~ जा रही/ की गयी कार्यवाही की सूचना का पूर्ण विवरण बैठक में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अपर जिलाधिकारी ॥प्रशासन॥ ने केवल इतना अवगत कराया कि कार्यवाही की जा रही है। अध्यक्ष/आयुक्त ने निर्देश दिए कि अगली बैठक में पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाय जिसमें अब तक की गयी कार्यवाही के परिणामों का भी उल्लेख किया जाय।

॥कार्यवाही अपर जिलाधिकारी ॥प्रशासन॥

सहयुक्त नियोजक द्वारा देहरादून की महायोजना को रेवैन्यू मानचित्र में प्रदर्शित कर दिया गया है। इसकी एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाय ताकि उसके अनुसार विभिन्न सजरा नम्बरों का भू-उपयोग मानचित्र स्वीकृत करते समय चैक किया जा सके।

॥कार्यवाही सहयुक्त नियोजक/सचिव॥

राजपुर रोड़ पर खसरा नम्बर 69,71 में व्यावसायिक योजना नगर नियोजक द्वारा अभी तक तैयार नहीं की गयी है। इस भूमि में स्थित पेड़ों को मार्क करते हुए यथास्थान उनको समायोजित करते हुए ले-आउट तैयार किया जाय और अगली बैठक में प्रोजैक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय।

॥कार्यवाही सहयुक्त नियोजक॥

यह बताया गया कि भूमि अध्याप्ति के मामलों में भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा भूमि का प्रतिकर अध्याप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करने के लिए कहा जा रहा है। भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा जो धनराशि मांगी जा रही है उसे शासन से स्वीकृत कराने के लिये शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाय। इसके अलावा भूमि अध्याप्ति का प्रस्ताव सीधे भी शासन को प्रस्तुत कर दिया जाय।

(कार्यवाही संयुक्त सचिव)

मसूरी (लण्डौर) में बस अड्डे के लिए भूमि अध्याप्ति का प्रस्ताव परगनाधिकारी मसूरी द्वारा तैयार कर साईट प्लान सहित भूमि अध्याप्ति अधिकारी को भेज दिया जाय।

(कार्यवाही परगनाधिकारी मसूरी)

जनरल महादेव सिंह रोड को चौड़ा करने के लिए सा0नि0वि0 द्वारा तैयार किए गए आगणन के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सचिव, सा0नि0वि0 को पत्र संख्या 2779/न0नि0-19/87 दिनांक 30.6.88 भेजा गया है। अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 से भी अनुरोध किया गया कि वे भी अपने स्तर से धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रयास करे।

देहरादून नगर के ट्रैफिक प्लान बनाने के सम्बन्ध में प्रो0 एन0रंगानाथन द्वारा प्रस्तावित शुल्क का ब्रेक अप प्राप्त हो गया है परन्तु आपरेशन रिसर्च बड़ोदा से अभी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यह बताया गया कि उनके प्रतिनिधि देहरादून आ रहे हैं और स्थानीय निरीक्षण के बाद अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मुख्य नगर एवम् ग्राम्य नियोजक की भी राय अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि प्रो0 एन0 रंगानाथन द्वारा भेजे गए ब्रेक अप का परीक्षण कर लिया जाय और आपरेशन रिसर्च ग्रुप से प्राप्त प्रस्ताव एवम् मुख्य नगर एवम् ग्राम्य नियोजक से प्राप्त राय के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

विकास शुल्क पुनरीक्षण समिति की आगे कार्यवाही नहीं चल पा रही है क्योंकि पिछली बैठकों में हुए निर्णय के अनुसार अर्द्ध विकसित व अविकसित क्षेत्रों का चयन कर उनमें वास्तविक विकास शुल्क की गणना नहीं की जा सकी। यह निर्देश दिए गए कि समिति अपनी बैठक शीघ्र करे जिसमें

नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को भी बुलाया जाय । यह समिति उन सुविधाओं का अभिज्ञान करें जो प्राधिकरण द्वारा दी जानी अपेक्षित है और उसके बाद ऐसे क्षेत्रों को छांट ले जिनमें ये सुविधायें मौजूद नहीं है और तदुपरान्त इन सुझावों के आधार पर इस कार्य पर होने वाले वास्तविक विकास शुल्क की गणना कर ली जाय।

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका द्वारा कचहरी रोड़ व पटेल रोड़ के बीच स्थित शापिंग काम्पलैक्स के संशोधित मानचित्र का अनुमोदन किया गया और यह पाया गया कि इस मानचित्र में पेड़ों को ठीक प्रकार से अंकित नहीं किया गया है। पेड़ों से आच्छादित भू-भागको मानचित्र में अंकित किया जाय क्योंकि तभी यह स्पष्ट हो सकेगा कि कितने पेड़ निर्माण स्थल में निर्माण के दौरान काटे जायेंगे और कितने पेड़ बचे रहेंगे तद्नुसार संशोधित मानचित्र अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका,
देहरादून)

मसूरी के ड्राफ्ट मास्टर प्लान के बारे में विचार करने हेतु मसूरी में ही सितम्बर माह में एक बैठक आयोजित की जाय।

(कार्यवाही वरिष्ठ नगर नियोजक)

डालनवाला क्षेत्र के जोनल प्लान बनाने की गति धीमी पाई गईक्योंकि अभी तक भौतिक सर्वेक्षण ही पूर्ण हुआ है और अन्य सर्वेक्षण आदि किया जाना शेष है। अगली बैठक तक जोनल प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए ।

(कार्यवाही नगर नियोजक/अधिशासी अभियन्ता)

<u>विषय क्रमांक:-1:-</u>

प्राधिकरण की दिनांक 24.6.88 की बैठक की कार्यवाही पढ़ी गयी और उसकी पुष्टि की गयी तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा इसकी पुष्टि हेतु कार्यवाही रजिस्ट्रर में हस्ताक्षर किए।

<u>विषय क्रमांक:-2:-</u>

<u>30.6.88 तक भवन मानचित्रों के निस्तारण की प्रगति</u>

(ये पुरानी 10 भवन मानचित्र पत्रावलियों की सूचना दी गयी और दो माह से अधिक लम्बित पत्रावलियों की संख्या 6 पाई गयी और 4 पत्रावलियों का निस्तारण प्राधिकरण बैठक से पूर्व ही हो चुका था। यह स्थिति संतोषजनक पाई गई परन्तु फिर भी इस तपर जोर दिया गया कि दो माह से अधिक कोई मानचित्र लम्बित न रहे।

(कार्यवाही उपाध्यक्ष, सचिव, सं0सचिव, अधि0 अभियन्ता)

वषय:-3:- [illegible]

सूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की भवन उपविधियों का अनुमोदन ।

चूँकि शासन द्वारा पुनः इस बात पर जोर दिया गया कि शासन द्वारा प्रेषित पविधियों को ही यथास्थान संशोधन के उपरान्त अंगीकृत किया जाय। अतः सचिव/ हयुक्त नियोजक द्वारा प्रस्तुत विवरण का अवलोकन किया गया जिसमें शासन द्वारा षित उपविधियों और प्राधिकरण में परिचलित वर्तमान उपविधियों में अन्तर को स्पष्ट किया गया है और तदुपरान्त सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा षित उपविधियों को निम्नलिखित संशोधनों सहित अंगीकृत किया जाय।

1-उपविधि सं0 13.3 में यह जोड़ दिया जाय कि $30^0$ से कम कोण पर मिलने वाली सड़कों के मामलों को प्राधिकरण के समक्ष निर्णय हेतु रखा जायेगा।

2-मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल है जिसकी भौगोलिक स्थिति व समस्यायें भिन्न होने के कारण शासन द्वारा प्रेषित उप-विधियों में एक परिशिष्ट/अध्याय अलग से निम्नलिखित अतिरिक्त प्रतिबन्धों को दर्शाते हुए जोड़ना होगा।

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में पर्वतीय भाग में भवन मानचित्रों के निस्तारण हेतु अतिरिक्त प्रतिबन्ध ।

---

1-भवन की ऊँचाई की दृष्टि से मसूरी में होने वाले निर्माण के मामले में माल रोड के किनारे तथा लण्डौर बाजार में घण्टाघर तक ऐसे निर्माणों की अनुमति नहीं दी जायेगी जिनमें भवन की छत का उच्चतम बिंदु माल रोड के स्तर से ऊर्ध्वाधर दिशा में 4 मीटर नीचे न हो। अर्थात् माल रोड से भवन के उच्चतम बिंदु की दूरी कम से कम चार मीटर होना आवश्यक होगा तभी मानचित्र पर विचार किया जा सकेगा।

इसी प्रकार अन्य सड़कों पर भी उस निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी जिसमें भवन का उच्चतम बिंदु सड़क के नीचे न हो।

2-ऐसे निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी जो नालों के किनारे या ऊपर है व जिनके निर्माण से नालों के मलबे से दबने की सम्भावना हो।

3-पानी के [illegible] स्रोतों के ऊपर या किनारे किसी निर्माण की अनुमति नहीं दी [illegible] जायेगी जिससे कि पानी के स्रोत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

4-मसूरी में अधिकतम् केवल दो तलों (भूतल एवं प्रथम तल) के भवनों की अनुमति दी जा सकेगी। दो तल से अधिक भवन की अनुमति नहीं दी जायेगी। बेसमेंट भी तल में सम्मिलित होगा अर्थात् बेसमेंट को तल (फ्लोर) मानते हुए केवल दो तलों की ही अनुमति दी जायेगी।

5-पहाड़ का स्लोप $30^0$ होगा। $30^0$ से अधिक तथा $45^0$ तक अधिकतम् का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

6-पर्वतीय भागों में न्यूनतम् सैटबैक हेतु निम्नांकित सारणी रहेगी:-

| | अग्र भाग | पृष्ठ भाग/ प्रथम पार्श्व | द्वितीय पार्श्व | भूखण्ड आच्छादन का प्रतिशत । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 200 वर्ग मी0 तक | 1.5 मी0 | 1.00 मीटर | [illegible] | 65 [illegible] |

(19)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 351 से 450 व0मी0 | 2.50 मीटर | 2.00 | 1.50 | 55 % |
| 451 से ऊपर | 3.00 मीटर | 2.50 | 2.00 | 50 % |

7- मसूरी में भवनों की छतें ढालदार होनी चाहिए।

8- माल रोड़ की विशेष स्थिति को देखते हुए दूनघाटी की तरफ वाले भाग में निर्माण नहीं होगा और दूसरी ओर हिल साईड पर भी निर्माण नहीं होगा परन्तु वर्तमान आवासीय भवनों में परिवर्तन/परिवर्धन के मानचित्र किए जा सकते हैं, और ऐसे प्रकरण, विचारार्थ प्राधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत किये जायेगें।

9- भवन निर्माण के अन्तर्गत मलवे का निस्तारण प्राधिकरण/पालिका द्वारा निर्दिष्ट स्थलों परही करना होगा। यदि मलवा न हटाने के कारण किसी प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थल, सार्वजनिक मार्ग, किसी सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुँचने की संभावना होगी तो स्वीकृत मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा और तब तक किया गया निर्माण अनधिकृत माना जायेगा।

10-मार्ग- विनियमन (आवासीय)

पर्वतीय भाग में आवासीय क्षेत्रों के लिए पैदल मार्ग की चौड़ाई 2 मीटर होनी आवश्यक होगी जिसकी लम्बाई 100 मीटर तक होगी। सर्विस रोड़ की चौड़ाई 3 मीटर होनी आवश्यक है जिसकी अधिकतम् लम्बाई 200 मीटर तक होगी। लूप स्ट्रीट की चौड़ाई भी 4 मीटर होनी आवश्यक है और लूप स्ट्रीट की लम्बाई 400 मीटर तक हो सकती है। कलक्टर रोड़ की चौड़ाई 7.50 मीटर होनी आवश्यक है और इसकी अधिकतम् लम्बाई 500 मीटर तक होगी। अन्य सड़कों की चौड़ाई मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुसार होगी। नगर की घनी आवादी में आन्तरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्मित पैदल मार्ग की लम्बाई 100 मीटर से अधिक भी हो सकती है। यदि सर्विस रोड डैड एण्ड के रूप में समाप्त होती है तो अंतिम छोर पर 6 मीटर की गहराई का घुमाव दिया जाना आवश्यक होगा। पब्लिक ऐजेन्सीज द्वारा दुर्बल आय वर्ग के लिए बनाई गई हाऊसिंग स्कीम्स में स्ट्रीट रेगुलेशन मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा हडको से परामर्श कर निर्धारित की जा सकती है।

मार्ग विनियमन (व्यवसायिक/वाणिज्यक/औद्योगिक)

पर्वतीय भाग में 100 मीटर लम्बाई तक मार्ग की चौड़ाई 6 मीटर 100 से 300 मीटर लम्बाई तक मार्ग की चौड़ाई 7.50 मीटर तथा 300 मीटर से ऊपर मार्ग की चौड़ाई 9 मीटर होनी आवश्यक होगी।

एफ0ए0आर0 के सम्बन्ध में तथा कमरों के आंतरिक क्षेत्रफल में मसूरी की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्येक मामले के गुण-अवगुण को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण शिथिलता दे सकता है।

विषय क्रमांक:-4:-

मसूरी में पिक्चर पैलेस के पास कार पार्किंग:-

प्राधिकरण के अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत पिक्चर पैलेस के पास मैसोनिक लाज के नीचे प्रस्तावित तीन टीयर कार पार्किंग के नक्शे पर विचार कर सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि इसका पूरा डिजायन व फीजिबिलिटी का इस्टीमेट तैयार कर अगली बैठक में रखा जाय जिसमें गाड़ियों के आने जाने व घुमाने के लिए पर्याप्त सर्कुलेशन स्पेस हो। यह भी निर्णय हुआ कि पिक्चर पैलेस के बिल्कुल निकट ही शिप्रा होटल के पास वाली नैन सिंह आदि की समतल की गई भूमि को भी कार पार्किंग हेतु अध्याप्त करने की कार्यवाही की जाय। परगना मजिस्ट्रेट मसूरी तदनुसार कागजात तैयार करेंगे व इस भूमि के मालिकों से प्रायवेट नैगोसियेशन से भी भूमि प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/परगना मजिस्ट्रेट मसूरी)

विषय क्रमांक:-5:-

नगरपालिका की सीमा के बाहर स्थित मलिन बस्तियों में विकास/सुधार कार्य किया जाना।

प्राधिकरण की दिनांक 24.5.88 को बैठक में हुए निर्णय के अनुसार अधिशासी अभियन्ता द्वारा ऐसी 13 मलिन बस्तियों में विभिन्न विकास/सुविधाओं के कार्य का सर्वेक्षण के उपरान्त विवरण प्रस्तुत किया। इन कार्यों पर होने वाले 57.02 लाख रू0 के सम्भावित व्यय व प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि जिस प्रकार नगरपालिका सीमा के अन्दर स्थित मलिन बस्तियों के विकास कार्य हेतु शासन नगरपालिका को अनुदान देती है उसी प्रकार नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित मलिन बस्तियों के विकास कार्य हेतु प्राधिकरण को अनुदान देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाय।

(कार्यवाही कार्यालय अधीक्षक)

विषय क्रमांक:-6:-

अजबपुरकलां आवासीय योजना

<u>विषय क्रमांक:-6:-</u>

<u>अजबपुरकलां आवासीय योजना की भूमि का फ्लड लेबल को देखते हुए सर्वेक्षण</u>

प्राधिकरण की दिनांक 20.2.88 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अधिशासी अभियन्ता व दोनों नगर नियोजकों द्वारा किए गए निर्णय से प्रेकट हुई स्थिति पर विचार किया गया। इस आवासीय योजना के अप स्टीम में रेलवे ब्रिज पर 1924 का जो उच्चतम् बाढ़ स्तर अंकित है उससे अ ब स द का भाग लगभग एक मीटर नीचा व ब, एफ, जी, सी, भाग का लेबल लगभग आधा मीटर नीचा बताया गया। यह भी बताया गया कि साधारणत: इस नदी में बाढ़ की सम्भावना नहीं है क्योंकि इसमें अब केवल बरसात में ही पानी बहता है परन्तु नदी का जल स्तर उच्चतम् बाढ स्तर पर आ जाने से यह भूमि जल मग्न हो सकती है। यह देखते हुए कि इस भूमि पर आवासीय योजना हेतु हुडको से ऋण स्वीकृत हो चुका है और हुडको के अधिकारी भी यह भूमि देख चुके हैं,अत: सर्वसम्मत्ति से निर्णय हुआ कि योजना के क्रियान्वयन को न रोका जाय पर इस भूमि को कभी भी संभावित बाढ से बचाने के लिए नदी के ट्रैनिंग वर्क्स किए जाय जिसमें योजना के साथ उच्चतम् बाढ़ स्तर की ऊँचाई तक का गाईड बाध भी बनाया जाय व भूमि पर जमा हो जाने वाली जल की निकासी के लिए फ्लड वाटर पम्प भी लगाए जायें। यह भी निर्णय हुआ कि 20.2.88 की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार इस भूमि का भूउपयोग आवासीय में परिवर्तन हेतु शासन को संस्तुति भेजी जाय।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता)

<u>विषय क्रमांक:-7:-</u>

<u>प्राधिकरण की सीमा से हटाये जाने वाले ग्रामों के सम्बन्ध में</u> ।

देहरादून की महायोजना में शामिल 187 गांवों में से अपर जिलाधिकारी द्वारा भेजी गई सूची में से 56 गांवों को महायोजना मानचित्र में प्रदिष्ट कर बैठक में दिखाया गया। इसके साथ ही सहयुक्त नियोजक द्वारा भी एक मानचित्र में गांवों की स्थिति को दिखाया गया। दोनों मानचित्रों का तुलनात्मक अध्ययन व विचार करने के उपरान्त सर्वसम्मत्ति से निर्णय हुआ कि सहयुक्त नियोजक द्वारा प्रस्तावित 31 गांवों को प्राधिकरण की सीमा से निकाल दिया जाय और तद्नुसार शासन को संस्तुति भेजी जाय।

(कार्यवाही सचिव, सहयुक्त नियोजक)

माननीय विधायक द्वारा कुछ और गांवों को भी नगर से बहुत दूर व वन क्षेत्र के निकट होने के कारण प्राधिकरण की सीमा से निकालने का सुझाव दिया गया। यह निर्णय हुआ कि ऐसे सभी गांवों के बारे में भी परीक्षण कर अगली बैठक में पूर्ण विवरण व मानचित्र सहित टिप्पणी प्रस्तुत की जाय।

॥कार्यवाही सहयुक्त नियोजक॥

विषय क्रमांक:-8:-

कांवली से बस स्टेशन हटाकर महारानी बाग अथवा चोरखाले में भूमि का अधिग्रहण।

चोरखाला व महारानी बाग की प्रस्तावित बस स्टैण्ड के लिए चयन की गयी भूमि के मानचित्रों का अवलोकन करने के उपरान्त सर्वसम्मत्ति से यह निर्णय हुआ कि कांवली में वर्तमान प्रस्तावित बस स्टैण्ड की भूमि का उपयोग आवासीय में परिवर्तित किया जाय व इसके स्थान पर चोरखाला ॥6726 व0मी0॥ भूमि॥ व महारानी बाग ॥8000 वर्ग मीटर॥ में बस स्टैण्ड हेतु भूमि अध्याप्त की जाय। चोरखाला में प्राधिकरण द्वारा शॉपिंग/आवासीय काम्पलैक्स भी निर्मित किया जा सकता है,अत: महारानी बाग में बस स्टैण्ड हेतु निकट की कुछ और भूमि अध्याप्त कर ली जाय।

॥कार्यवाही सहयुक्त नियोजक,संयुक्त सचिव॥

विषय क्रमांक:-9:-

ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-2 का लायसेन्स स्वीकृत करने के लिए 8 वर्ष के निर्धारित अनुभव को कम करके 3 वर्ष करना।

इस विषय पर विचारोपरान्त सर्वसम्मत्ति से यह निर्णय लिया गया कि इस मामले में कोई निर्णय लेना॥ प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में नहीं है क्योंकि यह पूरे प्रदेश का नीति सम्बन्धी मामला है। अत: इस प्रकरण को शासन को संदर्भित करते हुए समाप्त किया जाय।

॥कार्यवाही कार्यालय अधीक्षक॥

विषय क्रमांक:-10:-

शासन द्वारा श्री एस0सी0धिल्डियाल, नगर नियोजक को स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्कीटेक्चर, नई दिल्ली में डेढ़ वर्ष के मास्टर डिग्री प्रोग्राम हेतु भेजा जाना

(59)

प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि यह प्राधिकरण के उपर एक अनावश्यक व अनुपयोगी व्यय भार होगा कि डेढ वर्ष तक प्राधिकरण श्री धिल्डियाल को उनकी अनुपस्थिति में भी वेतन देता रहे। अतः सर्वसम्मत्ति से निर्णय हुआ कि शासन से अनुरोध किया किया जाय कि इस अवधि में श्री धिल्डियाल का वेतन शासन द्वारा दिया जाय या शासन प्राधिकरण को वेतन अनुदान दें।

(कार्यवाही सचिव)

यह भी निर्णय हुआ कि चूँकि श्री धिल्डियाल के स्थान पर किसी अन्य नगर नियोजक की नियुक्ति से प्राधिकरण पर दुहरा व्यय भार पड़ेगा अतः सहयुक्त नगर नियोजक श्री रतन अपने कार्य के साथ प्राधिकरण का भी नियोजन सम्बन्धी कार्य अपाध्यक्ष के निर्देशानुसार करते रहेंगे और उन्हें इस अतिरिक्त कार्य हेतु 500/- प्रति माह मानदेय दिया जायेगा। वे प्रति सप्ताह तीन दिन प्राधिकरण का कार्य करेंगे। (वरिष्ठ नियोजक द्वारा बताया गया कि अन्य प्राधिकरणों में यह मानदेय रु.300/= न हो कर रु.500/= प्रतिमाह है)।

(कार्यवाही सहयुक्त नियोजक व सचिव)

विषय क्रमांक:-11:-

सीड कैपिटल योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के विकास प्राधिकरण को ऋण की स्वीकृति।

निम्नलिखित स्थलों पर भूमि अध्याप्त करने का निर्णय सर्वसम्मत्ति से लिया गया। तदनुसार इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराकर अनुमानित मूल्य ज्ञात कर शासन को प्रस्ताव भेजा जाय :-

1-लालपुल के आगे सड़क के दाहिनी ओर लगभग 40 बीघा का क्षेत्र।

2-टर्नर रोड़ के पास बाईपास रोड़ की सड़क की बाईं ओर का वहक्षेत्र जिसमें भूउपयोग आवासीय है और परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है तथा लक्ष्मण विद्यालय से बाईपास रोड़ को जोड़ने वाला क्षेत्र।

3-सहारनपुर रोड से शिमला को मुड़ने वाले क्षेत्र की सड़क के प्रारम्भ में दोनों ओर का आवासीय उपयोग का क्षेत्र।

4-सहस्त्रधारा रोड़ में मयूर विहार के आगे से प्रारम्भ करके गुजराड़ा, मानसिंह इण्टर कालेज से पूर्व का क्षेत्र।

5-महायोजना में जो स्थल व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु प्रस्तावित है उन स्थलों की भूमि अध्याप्ति प्रस्ताव भी तैयार कराये जायें क्योंकि व्यावसायिक काम्पलैक्स तैयार होने के उपरान्त ही प्राधिकरण अपनी वित्तीय स्थिति सबल बना सकता है।

विषय क्रमांक:-12:-

लक्ष्मी विहार, माजरा के तलपट मानचित्र के पूर्वानुमोदन के सम्बन्ध में ।

नगर नियोजक द्वारा परीक्षण के उपरान्त तैयार की गई आख्या का अवलोकन किया गया। सहयुक्त नियोजक द्वारा बताया गया कि ख0नं0 117 का कुछ भाग प्रस्तावित बाई पास में भी आ रहा है और तद्नुसार शासन द्वारा विज्ञप्ति में इस भाग का भूउपयोग आवासीय से बाईपास में परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। नगर नियोजक ने बताया कि उनको सार्वजनिक निर्माण विभाग के ही एक अधिकारी ने लिखित सूचित किया कि बाईपास का सरेखण बदल जाने के कारण इस खसरा नम्बर में से बाईपास नहीं जाएगा। इन परस्पर विरोधी बातों को देखते हुए सर्वसम्मति से निम्न लिखित निर्णय हुए :-

1-अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 जो बैठक में उपस्थित है इस बात की जांच करा लें कि जब इस खसरा नम्बर के एक भाग का उपयोग आवासीय से सा0नि0वि0 के प्रस्ताव पर ही बदला जाना प्रस्तावित है तब पुनः दूसरी इससे भिन्न रिपोर्ट इस मामले में कैसे दी गई और वास्तविक सही स्थिति क्या है।

(कार्यवाही अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0)

2- सहयुक्त नियोजक सा0नि0वि0 के सम्बन्धित अधिकारी के साथ मौके पर बाईपास के सरेखण की स्थिति को देखते हुए इस खसरा नं0 के बारे में यह सुनिश्चित करें कि वह प्रस्तावित/निर्माणाधीन बाईपास से प्रभावित है या नहीं और अगली बैठक से पूर्व अपनी आख्या उपाध्यक्ष को प्रेस्तुत करे ताकि अगली बैठक में इस विषय पर विचार किया जा सके।

(कार्यवाही सहयुक्त नियोजक)

विषय क्रमांक:-13:-

प्रीति इन्कलेव, ग्राम माजरा, सहारनपुर रोड़, देहरादून के तलपटमानचित्र के पूर्वानुमोदन के सम्बन्ध में ।

---

नगर नियोजक द्वारा परीक्षण के उपरान्त प्रस्तुत की गई आख्या का अवलोकन कियागया। इस मामले में भी सहयुक्त नियोजक ने बताया कि तलपट मानचित्र में अंकित खसरा नं0 101/1, 108, 109, 110 आदि के कुछ भाग में नहर विभाग की सड़क भी अंकित है। नगर नियोजक ने स्पष्ट किया कि ऐसे भाग को तलपट मानचित्र में अलग दिखाते हुए उसे भूविन्यास से बाहर दिखाया है।

(61)

आ कि भूविन्यास में कुछ प्लाटों तक कोई सम्पर्क मार्ग नहीं है और प्लाटों के किनारे सिंचाई विभाग की नहर के किनारे सिंचाई विभाग की भूमि है जिसे सड़क रूप में उपयोग करना प्रस्तावित है। यह बताया गया कि सिंचाई विभाग सहायक अभियन्ता ने इस पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। यह विचार कट किया गया कि अधिशासी अभियन्ता की अनापत्ति जरूरी है। सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय हुआ कि सहयुक्त नियोजक विवादास्पद खसरा /सजरा म्बरों का स्वामित्व मास्टर प्लान में अंकित स्थिति से चैक कर लें व सिंचाई विभाग से भी पुष्टि करा लें। जहां तक सड़क का प्रश्न है, नहर विभाग की मि पर सड़क बनाने के लिए सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता की लिखित सहमति आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जानी आवश्यक होगी। सहयुक्त नियोजक अगली बैठक में पूर्ण उपाख्यान आख्या प्रस्तुत करेंगे ताकि अगली बैठक में इस विषय पर पुनः विचार हो सके।

**[कार्यवाही सहयुक्त नियोजक]**

विषय क्रमांक:-14:-

प्राधिकरण के कार्य विस्तार हो जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त पदों का सृजन

प्राधिकरण में अब तक पिछड़ा हुआ व अस्त व्यस्त नजूल कार्य आ जाने, परियोजना विधि व राजस्व सम्बन्धी कार्यों में वृद्धि हो जाने के कारण निम्नलिखित पदों के सृजन का निर्णय हुआ जिनके लिए शासन से अनुरोध किया जाय।

| पद का नाम | संख्या |
|---|---|
| 1-संयुक्त सचिव [द्वितीय] | 1 |
| नजूल अनुभाग हेतु | |
| 1-वरिष्ठ लिपिक | 1 |
| 2-ड्राफ्टसमैन | 1 |
| 3-कनिष्ठ लिपिक/टंकक | 2 |
| 4-पत्रवाहक | 2 |
| अभियंत्रण विभाग हेतु | |
| 1-परियोजना कार्य सुपरवाइजर | 6 |
| विधि विभाग हेतु | |
| विधि निरीक्षक | 1 |
| सम्पत्ति विभाग हेतु | |
| 1-नायब राजस्व मोहर्रिर | 1 |

6

विषय कृमांक:-15:-

सुपरवीजन चार्ज लिए जाने के सम्बन्ध में
---

निर्णय शासनादेश संख्या 3517/11-5-88-28-28 मिस/87 दिनांक 13.6.88 के अनुसार सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि यू0पी0एस0 आई0डी0सी0 के द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्रों में मानचित्रों की स्वीकृति में प्राधिकरण द्वारा सुपरवीजन चार्ज न लिया जाय परन्तु जहाँ वे प्राधिकरण द्वारा सुपरवीजन कराना आवश्यक समझें वहीं सुपरवीजन चार्ज लिया जाय।

॥कार्यवाही सचिव॥

विषय कृमांक:-16:-

प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि अध्याप्त किए जाने का प्रस्ताव ।
---

विभिन्न योजनाओं के लिए प्रस्तावित भूमि की सूची का अवलोकन करने के उपरान्त सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि कालीदास रोड़ पर भूमि की अविकसित स्थिति व उसके विकास पर होने वाले व्यय को देखते हुए यहाँ भूमि अध्याप्त न की जाय और निम्नलिखित स्थानों पर भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जाय :-

1-ट्रान्सपोर्ट नगर के लिए सहारनपुर रोड़ के निकट 32.90 एकड़ भूमि ।

2-सहारनपुर रोड व बाईपास के निकट बस स्टैण्ड हेतु 17.32 एकड़ भूमि ।

3-निरंजनपुर कांवली में आवासीय योजना पहले अध्याप्त 68.02 एकड़ भूमि में से 7.60 एकड़ भूमि जिसका कब्जा लिया जा चुका है को छोड़ कर शेष भूमि

4-सहस्त्रधारा रोड पर आवासीय योजना हेतु 100 एकड़ भूमि ।

॥कार्यवाही संयुक्त सचिव॥

विषय कृमांक:-17:-

सहारनपुर रोड़ पर राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान, देहरादून के भवन निर्माण मानचित्र की स्वीकृति।
---

प्रश्नगत भूमि उस क्षेत्र में है जिसका महायोजना में एम-2 ॥उद्योग॥ उपयोग निर्धारित है परन्तु प्रश्नगत भूमि की विशिष्ट स्थिति व इसके निकट पहले से व्यवसायिक उपयोग को देखते हुए व प्रश्नगत संस्थान के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसम्मत्ति से निर्णय हुआ कि इस स्थल पर राजकीय होटल

क्रमशः:--14

जमैण्ट व कैटरिंग संस्थान के निर्माण की अनुमति अन्य औपचारिकताएं पूर्ण ते हुए दे दी जाय। विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.12.84 में भी यह प्रस्ताव अनुमोदित हुआ है। महायोजना में ऐसे क्षेत्र में कुछ उपयोग धिकरण द्वारा अनुमन्य किए गए हैं जिनमें एक उपयोग यह भी है "Such incidental ses which the Dev Authority may think essential for the ev. and uplift of such industrial use".

अतः इस दृष्टि से भी यहां प्रश्नगत संस्थान निर्माण उचित समझा गया।

॥कार्यवाही सचिव॥

षय क्रमांक:-18:-

र संचार विभाग द्वारा सहारनपुर रोड, देहरादून में दूरभाष केन्द्र के भवन मानचित्र सम्बन्ध में।

---

चूंकि प्रश्नगत भूमि विषय क्रमांक-17 में उल्लिखित भूमि के निकट है त: टेलीफोन एक्सचेंज की उपयोगिता/महत्व को देखते हुए जैसा निर्णय विषय मांक-17 में हुआ उसी प्रकार यहां पर भी सर्वसम्मति से अन्य औपचारिताओं की पूर्ति के प्रतिबन्ध के साथ निर्माण की अनुमति प्रदान की गई।

यह बताया गया कि भवन की ऊँचाई 19 मीटर होगी जबकि वर्तमान पनियमों के अनुसार अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर हो सकती है। शासन द्वारा जे गए माडल बायलौज के प्राविधानों को देखते हुए व यह देखते हुए कि धिकतम ऊँचाई के भवन निर्माण की तकनीकी दृष्टि से आवश्यकता है विशेष रिस्थितियों में इसकी भी अनुमति दी गयी।

॥कार्यवाही सचिव॥

विषय क्रमांक:-19:-

मसूरी में बड़ोदा इस्टेट के काटेजेज के निर्माण की अनुमति।

सहयुक्त नियोजक द्वारा दी गयी संस्तुति को देखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विद्युत लाईन से प्रश्नगत काटेजेज की दूरी निर्धारित सीमा तक करने के लिए प्रस्तावित 15 काटेजेज में से 11 की अनुमति दी जानी प्रस्तावित है और प्रश्नगत निर्माण स्थल मसूरी के मुख्य बाजार लायब्रेरी से 3 किलोमीटर की दूरी से भी अधिक दूरी पर है और पहाड़ व पेड़ों को नहीं काटा जा रहा है। इस मानचित्र की स्वीकृति पर सहमति हुई। जहां तक पेय जल का सम्बन्ध है, यह ~~......~~ बताया गया

(6)

इस स्थल पर पानी की पाईप लाईन पहले से ही जा रही है और स्थल पर निर्मित भवन जिसके स्थान पर काटेजेज बनाई जानी प्रस्तावित है में भी ले से पेय जल की सुविधा उपलब्ध है। अतः यह निर्णय हुआ कि यहां इस तिबन्ध के साथ ।। काटेजेज के निर्माण की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाय कि से वर्तमान पेय जल व्यवस्था पर कोई भार नहीं पड़ेगा और निर्माण से पूर्व संस्थान से अनापत्ति प्राप्त कर ली जायेगी ।

।कार्यवाही सचिव।

पूरक विषय कृमांक:-1:-

म नकरौंदा, परगना परवादून, जिला देहरादून के गांव सभा की भूमि खसरा ख्या-675, रकबा 0-26 एकड़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोईवाला स्थापना के लिए पुनःग्रहण किया जाना।

चूँकि मास्टर प्लान में दिए गए प्राविधानों के अनुसार धिकरण की अनुमति से कृषि क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण अनुमन्य है तः सर्वसम्मत्ति से निर्णय हुआ कि इस स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की थापना के लिए प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति जारी कर दी जाय।

पूरक विषय कृमांक:-2:-

इन्डियन ओवरसीज बैंक इम्पलाईज को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसाईटी लि0।रजि0। का ग्राम माजरा में प्रस्तुत तलपट मानचित्र

चूँकि इस मामले में उपाध्यक्ष के आदेश विरुद्ध अध्यक्ष के यहां अपील विचाराधीन है अतः प्राधिकरण द्वारा इस मामले पर विचार करना उपयुक्त नहीं पाया गया।

नुपूरक विषय कृमांक:-3:-

राजपुर रोड स्थित प्लौट सं0-57/19 पर शिवा पैलेस ।व्यवसायिक दूकानों। के निर्माण के सम्बन्ध में ।

राजपुर रोड़ स्थित प्लौट नं0-57/19 पर प्रस्तुत मानचित्र का अवलोकन करने से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि रोड वाईडिनिंग के बाद

निर्धारित सैट बैक पूर्ण रूप से छोडा गया है और का-र पार्किंग के लिए भी निर्धारित स्थान छोड़ा गया है या नहीं। अतः सर्व-सम्मत्ति से निर्णय हुआ कि सहयुक्त नियोजक इस मानचित्र का परीक्षण कर स्थल निरीक्षण करने के उपरान्त अपनी आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

<u>अनुपूरक विषय क्रमांक:-4:-</u>

<u>प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष निर्मित किए जाने वाले निर्बल आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के आवासों की योजना:-</u>

<u>मोहिनी रोड़ तथा निरंजनपुर कांवली:-</u>

सर्व-सम्मत्ति से यह निर्णय हुआ कि निरंजनपर कांवली में जो 7.60 एकड़ अध्याप्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है उस पर कम्पोजिट हाऊसिंग योजना बनाई जाय और इसके लिए हडको से ऋण प्राप्त किया जाय तथा हडको सेऋण प्राप्त करने के लिए योजना [illegible] की सभी औपचारिकतायें पूरी करने, अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने के लिए सचिव/उपाध्यक्ष को सर्व-सम्मत्ति से अधिकृत किया गया।

(कार्यवाही उपाध्यक्ष, सचिव)

2- मोहिनी रोड़ पर प्राधिकरण के पास जो 2210 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध है उस पर भी एल०आई०जी०/एम०आई०जी० के भवनों का निर्माण किया जाय और यह भी निर्णय हुआ कि इस योजना के लिए हडको से ऋण प्राप्त किया जाय, परन्तु इससे पूर्व दोनों वर्गों के लिए योजना की इकोनोमिक फिजीबिलिटी का भी परीक्षण कर लिया जाय और जो योजना आर्थिक दृष्टि से फिजीबिल हो उसे क्रियान्वित किया जाय।

| | | |
|---|---|---|
| (यू०डी०चौबे) | (प्रताप सिंह) | (एस०एस०पांगती) |
| सचिव, | उपाध्यक्ष, | अध्यक्ष, |
| म०दे०वि०प्रा०, | म०दे०वि०प्रा०, देहरा- | म०दे०वि०प्रा०, |
| देहरादून। | दून | देहरादून। |

पुष्टि की जाती है
8.12.88

12.8.88